प्रेषक,

**अरविन्द कुमार,**
प्रमुख सचिव,
चि0स्वा0 एवं प0क0,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

**सेवा में,**

1. **जिलाधिकारी,**
   समस्त जनपद,
   उत्तर प्रदेश।

2. **मुख्य चिकित्साधिकारी,**
   समस्त जनपद,
   उत्तर प्रदेश।

3. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,**
   समस्त जनपद,
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एस0पी0एम0यू0 / एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 / 2015–16 / 51–ए / 86543 दिनांकः 31-12-15

**विषयः मातृ एवं शिशु ट्रेकिंग सिस्टम (एम0सी0टी0एस0) के सुदृढ़ीकरण हेतु अभियानः दिनांक 08.02.2016 से दिनांक 07.03.2016 तक।**

संदर्भः एस0पी0एम0यू0 / एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0 / 51–यू / 2015–16 / 7188–15 दिनांकः 07.10.2015

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य सरकार के चि0स्वा0 एवं प0क0 के द्वारा दिनांक 27.01.2016 से दिनांक 05.02.2016 तक मातृत्व स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में प्रदेश भर में समस्त गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण / प्रसव पूर्व जाँच (ए0एन0सी0) तथा हाई रिस्क प्रेगनेन्सी का चिन्हीकरण किया जाएगा। इस विशेष मातृत्व स्वास्थ्य सप्ताह के दौरान जो डाटा एकत्रित होगा उसे एम0सी0टी0एस0 पोर्टल में रजिस्ट्रेशन / अपडेशन किया जाना आवश्यक होगा, साथ ही साथ एम0सी0टी0एस0 पोर्टल में उपस्थित गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के डाटा के सुदृढ़ीकरण हेतु एम0सी0टी0एस0 अभियान दिनांक 08.02.2016 से दिनांक 07.03.2016 तक चलाये जाने का निर्णय लिया गया है इस अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित मदर एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (MCTS) पोर्टल पर राज्य में गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है, तत्पश्चात् लाभार्थियों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का अपडेशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है जिसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं की ए0एन0सी0 सेवाओं की रिपोर्टिंग, पाँच वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण सेवाओं की रिपोर्टिंग, प्रसव में जटिलता अथवा रक्तअल्पता वाली गर्भवती माताओं की ट्रैकिंग एवं कम वजन के बच्चों की ट्रैकिंग हेतु पोर्टल पर ब्लॉक स्तर से डाटा के ऑनलाइन फीडिंग के कार्य को सम्पादित किया जा रहा है।

एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में उपस्थित सभी गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव कराया जा सके और सभी गर्भवती महिलाओं को ससमय ए0एन0सी0, पी0एन0सी0 की सेवायें और पाँच साल तक के सभी बच्चों को ससमय सभी टीके लगाये जायें जिससे राज्य की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आ सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना होगाः–

1. जनपद पर उपस्थित सभी गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीकरण किया जाए।
2. ससमय गर्भवती महिलाओं की सर्विस डेट को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेट किया जाए। जैसे कि गर्भवती महिलाओं की चारों ए0एन0सी0 सर्विसेज, डिलिवरी , मदर डेथ आदि।

3. ससमय बच्चों की सर्विस दिनांक को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेट किया जाए। जैसे कि बी0सी0जी0 शून्य, ओ0पी0वी0–1,2,3, डी0पी0टी0–1,2,3, हैपेटाइटस–1,2,3, मेजल्स और विटामिन–ए।
4. एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों (गर्भवती महिला एवं बच्चों) का वर्कप्लान नियमित रूप से प्रिन्ट कर ए0एन0एम0 को दिया जाए।

एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम की जनपद स्तरीय समीक्षा करने पर उनका कार्य संतोषजनक न होने के कारण राज्य स्तरीय एम0सी0टी0एस0 आयोजन की शुरूआत की जा रही है जिससे 2015–16 के बैकलॉग को इस अभियान के दौरान पूरा किये जाने पर विशेष जोर दिया गया हैं।

**अभियान का उद्देश्यः–**

1. जनपद में उपस्थित गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन किया जाना।
2. जनपद में उपस्थित गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का सर्विस अपडेट 60 प्रतिशत किया जाए।
3. जनपद में उपस्थित सभी हाई रिस्क प्रेगनेन्सी, कॉम्प्लीकेशन एवं 2.5 किलोग्राम से कम वजन के बच्चों की सूची तैयार करना।
4. सभी सबसेन्टर/कार्य क्षेत्र के लिए वर्कप्लान जनरेट किया जाए।

**अभियान की अवधि और उसका क्षेत्रः–**

इस एम0सी0टी0एस0 अभियान को एक माह के अन्दर पूरा किया जाना है और इस अभियान का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 08 फरवरी, 2016 से 07 मार्च, 2016 तक किया जाएगा।

इस शासनादेश में आयोजित होने वाले अभियान के अन्तर्गत की जाने वाली संपूर्ण क्रियाकलापों का वर्णन निहित है।

**अभियान के दौरान एम0सी0टी0एस0 के अन्तर्गत देने वाले बिन्दुः–**

| गर्भवती महिलाओं से सम्बन्धित बिन्दु | बच्चों से सम्बन्धित बिन्दु |
| --- | --- |
| 1. गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण<br>2. ए0एन0सी0 एवं डिलिवरी सर्विसेज का अपडेशन<br>3. जनपद में उपस्थित सभी हाई रिस्क प्रेगनेन्सी, कॉम्प्लीकेशन एवं 2.5 किलोग्राम से कम वजन के बच्चों की सूची तैयार करना।<br>4. मातृ मृत्यु की सूची तैयार करना | 1. नवजात बच्चों का पंजीकरण<br>2. बच्चों को दी जाने वाली बी0सी0जी0 शून्य, ओ0पी0वी0–1,2,3, डी0पी0टी0–1,2,3 हैपेटाइटस–1,2,3, मेजल्स और विटामिन–ए को पोर्टल पर अपडेट करना।<br>5. जनपद में उपस्थित सभी 2.5 किलोग्राम से कम वजन के बच्चों की सूची तैयार करना।<br>3. शिशु मृत्यु की सूची तैयार करना। |
| सभी सबसेन्टर/कार्य क्षेत्र के लिए वर्कप्लान जनरेट किया जाए। | |

**एम0सी0टी0एस0 के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रियाः–**

जनपद स्तर से एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर मदर, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन अथवा उनके अपडेशन के तीन विधियां है और इन विधियों की मदद से एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर उपस्थित डाटा का सुदृढीकरण किया जा सकता है।

| विधियां | कार्य करने की विधि |
|---|---|
| आर0सी0एच0 रजिस्टर (गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीकरण) | 1. क्षेत्र मे उपस्थित ए0एन0एम0 वी0एच0एन0डी0 कार्य क्षेत्र के दौरान मदर एवं चाइल्ड को दी जाने वाले सर्विसेज को आर0सी0एच0 रजिस्टर पर इंगित करेगें।<br>2. साप्ताहिक बैठक के दौरान आर0सी0एच0 रजिस्टर में इंगित मदर एवं चाइल्ड सर्विसेज को पोर्टल पर अपडेट करायें।<br>3. आर0सी0एच0 रजिस्टर में इंगित मदर एवं चाइल्ड की इन्ट्री को ए0आर0ओ0/डी0पी0एम0 द्वारा चेक किया जाएगा और एम0सी0टी0एस0 लॉग बुक को मेन्टेन करेगें।<br>4. एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर आर0सी0एच0 रजिस्टर में उपस्थित नयी गर्भवती महिलाओ का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन पश्चात उस आई0डी0 को आर0सी0एच0 रजिस्टर पर लिखेगा और आई0डी0 प्राप्त महिलाओं एवं बच्चों का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर उनको दी गयी सर्विसेज का पोर्टल पर अपडेशन करें और अपडेशन पश्चात आर0सी0एच0 रजिस्टर को अगली बैठक के दौरान ए0एन0एम0 को वापस करेगा। |
| वी0एच0एन0डी0 टैलीशीट (गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीकरण) | 1. वी0एच0एन0डी0 कार्य क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैरियर के साथ दो प्रतिलिपि टैलीशीट की दी जांए।<br>2. ए0एन0एम0 टैलीशिट को वी0एच0एन0डी0 कार्य क्षेत्र के दौरान एम0सी0टी0एस0 आई0डी0 के साथ लिखेगी और यदि किसी गर्भवती महिला एवं बच्चे का एम0सी0टी0एस0 आई0डी0 नही है तो उसे ब्लैंक रखेगी।<br>3. वी0एच0एन0डी0 कार्य क्षेत्र की समाप्ति पर ए0एन0एम0 उस टैलीशीट को पूर्ण रूप से भरकर ब्लॉक में उपस्थित एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर को देगी।<br>4. ब्लॉक में उपस्थित वैलिडेशन कमेटी के सदस्य (ए0आर0ओ0/बी0पी0एम0) ए0एन0एम0 से प्राप्त टैलीशीट को चेक करें और उसके उपरान्त ही एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर को वी0एच0एन0डी0 कार्य क्षेत्र के दौरान दी गई समस्त सेवाओं को अपडेशन हेतु देगें।<br>5. एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर ए0एन0एम0 से प्राप्त टैलीशीट को सबसेन्टर वाइज लॉगबुक(दिये जाने वाले/प्राप्त किए गए) तैयार करेगा।<br>6. ए0एन0एम0 से प्राप्त टैलीशीट के आधार पर एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का रजिस्ट्रेशन/अपडेशन करेगा तत्पश्चात उस आई0डी0 को टैलीशीट में लिखेगा तथा अगली बैठक के दौरान उस टैलीशीट को ए0एन0एम0 को वापस दे देगा और ए0एन0एम0 टैलीशीट में प्राप्त आई0डी0 को आर0सी0एच0 रजिस्टर पर लिखेगी।<br>7. वी0एच0एन0डी0 कार्य क्षेत्र के दौरान ए0एन0एम0 से प्राप्त एम0सी0टी0एस0 आई0डी0 को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर खोजने पर न मिले, तो सर्वप्रथम आई0डी0 चेक करें/नया रजिस्ट्रेशन कर नयी आई0डी0 दे दी जाए।<br>8. नयी एम0सी0टी0एस0 आई0डी0 जो वी0एच0एन0डी0 की टैलीशीट से गायब है, उसको एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर द्वारा अध्यतन टैलीशीट पर कराया जाये, (जो कि लाल रंग से हो)।<br>9. एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर नये गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीकरण कर प्राप्त आई0डी0 को ए0एन0एम0 की अग्रिम साप्ताहिक बैठक में उस एम0सी0टी0एस0 आई0डी0 को साझा करेंगे।<br>10. एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर से प्राप्त नये पंजीकरण आई0डी0 (मदर एण्ड चाइल्ड) को ए0एन0एम0 द्वारा आर0सी0एच0 रजिस्टर पर अपटेड किया जायेगा। |

| | |
|---|---|
| **यू0एस0एस0डी0 (मात्र गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की सर्विस अपडेशन के सम्बन्ध में)** | 1. यू0एस0एस0डी0 को केवल सर्विस को अपडेट के लिए ही प्रयोग किया जायेगा, (न कि पंजीकरण के लिए)।<br>2. प्रत्येक सर्विस को अपडेट करने के लिए ए0एन0एम0 को इन्सेन्टिव दिया जायेगा।<br>3. यू0एस0एस0डी0 की सर्विस को शुरू करने के लिए सभी ए0एन0एम0 के नम्बर को वेरीफिकेशन और लॉकिंग के लिए आवश्यक है, जिसका कि एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण हुआ हो।<br>4. प्रत्येक सर्विस (ए0एन0सी0 1, ए0एन0सी0 2, बी0सी0जी0, डी0पी0टी0 1, मीजल्स, आदि) को अपडेट करने के लिए एक यूनीक कोड यू0एस0एस0डी0 द्वारा दिया गया है।<br>ए0एन0एम0 की सर्विस कोड की सूची की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना है। |

**एम0सी0टी0एस0 डाटा का मूल्याकंन एवं अनुश्रवणः–**

एम0सी0टी0एस0 डाटा की इन्ट्री एवं गुणवत्ता और उचित कार्यान्वियन के लिए ब्लॉक वैलिडेशन कमेटी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एम0सी0टी0एस0 डाटा के डुप्लीकेशन एवं उनकी गुणवत्ता के लिए ब्लॉक वैलिडेशन कमेटी को नीचे दिये गए निर्देशों को कराना सुनिश्चित करें।

1. ब्लॉक स्तर में उपस्थित आर0सी0एच0 रजिस्टर के आंकलन एवं गुणवत्ता की जॉच एवं सप्ताह में आर0सी0एच0 रजिस्टर को ए0एन0एम0 द्वारा ब्लॉक पर एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर को दिया जाना सुनिश्चित करें।
2. ब्लॉक लेवल में उपस्थित आर0सी0एच0 रजिस्टर के रिव्यू एवं गुणवत्ता की जॉच एवं वी0एच0एन0डी0 की टैलीशीट हर वी0एच0एन0डी0 सत्र के बाद ए0एन0एम0 द्वारा एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर को दिया जाना सुनिश्चित करे।
3. आर0सी0एच0 रजिस्टर एवं वी0एच0एन0डी0 टैलीशीट को सप्ताह में किसी भी दिन ए0एन0एम0 द्वारा एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर को दिया जाना सुनिश्चित करे।
4. यह सुनिश्चित करें कि किस ए0एन0एम0 के द्वारा वी0एच0एन0डी0 टैलीशीट और आर0सी0एच0 रजिस्टर जमा नही किया गया।
5. यह भी सुनिश्चित करना है कि एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर नई गर्भवती महिलाओं एवं नए बच्चों का पंजीकरण कर एम0सी0टी0एस0 मदर एवं चाइल्ड आई0डी0 को साप्ताहित मीटिंग में साझा(शेयर) करना सुनिश्चित करें।

**एम0सी0टी0एस0 डाटा की समीक्षाः–**

एम0सी0टी0एस0 डाटा की समीक्षा निम्नलिखित बिन्दुओं पर कराना सुनिश्चित करें।

1. गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीकरण वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कितना किया गया।
2. एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर उपस्थिति गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पंजीकरण, एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के सापेक्ष उस माह में कितना किया गया है।
3. गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली चारों ए0एन0सी0 एवं डिलिवरी सेवाओं को पोर्टल पर ससमय अपडेट कराना।
4. बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के अपडेशन की स्थिति।

5. हाई रिस्क प्रैगनेन्सी, हिमाग्लोबिन 7 ग्राम से कम एवं मदर डेथ रिपोर्टिगं की स्थिति।
6. नॉन रिपोर्टिग फैसलिटी को चिन्हित करना।
7. यू0एस0एस0डी0 सेवा हेतु पंजीकृत समस्त नम्बरों को लॉक कर उनका उपयोग अपडेशन हेतु किए जाने की स्थिति।
8. गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों हेतु नियमित रूप से वर्कप्लान जनरेट करने की स्थिति।

जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा एम0सी0टी0एस0 पोर्टल की रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड के आधार पर नियमित समीक्षा अभियान के दौरान और उसके बाद निम्नलिखित बिन्दुओं पर रखी जाए।

| समीक्षा बैठक | प्रायिकता |
|---|---|
| जनपद स्तर | 1. अभियान के दौरान एम0ओ0आई0सी0 एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा तीन मीटिंग का आयोजन किया जाए।<br>2. पहली मीटिंग का आयोजन अभियान के प्रारम्भ में दूसरी मीटिंग 15 दिनों के बाद एवं तीसरी मीटिंग माह के अन्त में किया जाना है।<br>3. पहली और तीसरी मीटिंग का आयोजन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया जाना है। |
| ब्लॉक स्तर | 1. ए0एन0एम0 कार्य की समीक्षा साप्ताहिक की जाए।<br>2. ब्लॉक स्तरीय सभी समीक्षा एम0ओ0आईसी0 की अध्यक्षता में की जाए। |

**सी0एम0ओ0 की भूमिका:–**

1. अभियान की शुरूआत के समय डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट की अधीनता में सी0एम0ओ0 सभी ब्लॉक में उपस्थिति एम0ओ0आई0सी0 को बुलाकर एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम के कार्य की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा करेगे और यह भी बताएगें कि अभियान के दौरान एम0ओ0आई0सी0 को क्या कार्य ब्लॉक में करवाने है।
2. सी0एम0ओ0 यह भी सुनिश्चित करें कि सभी ब्लॉक में वी0एच0एन0डी0 टैलीशीट का प्रिंट आउट उपस्थित हो।
3. अभियान के दौरान एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम की समीक्षा ब्लॉक स्तरीय की जाए।
4. एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम की प्रगति के लिए सी0एम0ओ0 पूरी तरह से जिम्मेदार होगें।

**डी0पी0एम0 की भूमिका:–**

1. डी0पी0एम0 एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम की समीक्षा करेगें और एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम की प्रगति के बारे में सी0एम0ओ0/एम0सी0टी0एस0 नोडल ऑफिसर को सूचित करेंगे।
2. राज्य स्तर से प्राप्त गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लक्ष्य को ब्लॉक स्तरीय लक्ष्य बनाकर उन्हें दिया जाए और लक्ष्य के आधार पर उनकी प्रगति को आंका जाए।
3. डी0पी0एम0 ब्लॉक पर उपस्थित बी0पी0एम0 और एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर के कार्य की निगरानी करेगें और यह भी सुनिश्चित करायें कि ब्लॉक स्तरीय टारगेट को शत–प्रतिशत अभियान के दौरान ससमय पूरा किया जाए।
4. एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम की हर समीक्षा के लिए प्रजेन्टेशन डी0पी0एम0 द्वारा तैयार किया जाए।
5. डी0पी0एम0 यह भी सुनिश्चित करें कि ब्लॉक स्तर पर वी0एच0एन0डी0 टैलीशीट एवं आर0सी0एच0 रजिस्टर की उपलब्धता हो।

**एम0ओ0आई0सी0 की भूमिका:–**

1. एम0सी0टी0एस0 अभियान के शुरूआत में ब्लॉक के सभी अधिकारियों सहित ए0एन0एम0 को अभियान के बारे में जानकारी दी जाए और सम्भावित परिणाम के बारें में अवगत कराया जाए।
2. एम0ओ0आई0सी0 यह भी सुनिश्चित करें कि हर वी0एच0एन0डी0 कार्य क्षेत्र पर वी0एच0एन0डी0 टैलीशीट उपलब्ध हो।
3. एम0ओ0आई0सी0 यह भी सुनिश्चित करें कि ब्लॉक वैलिडेशन कमेटी सभी कार्यों का प्रतिपादन दिए गए निर्देशों के क्रम में करें।
4. एम0ओ0आई0सी0 ब्लॉक पर उपस्थित बी0पी0एम0 और एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर के कार्य की प्रगति प्रतिदिन करे।
5. ए0एन0एम0 के कार्य की समीक्षा साप्ताहिक बैठक में की जाए।
6. ब्लॉक स्तर पर एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम की प्रगति के लिए एम0ओ0आई0सी0 पूरी तरह से जिम्मेदार होगें।

**आपेक्षित परिणाम:–**

राज्य स्तर से प्राप्त गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लक्ष्य को जनपद स्तरीय लक्ष्य बनाकर उन्हें दिये गए हैं

अभियान के अन्त में उसी लक्ष्य के आधार पर राज्य स्तर द्वारा जनपदों के एम0सी0टी0एस0 प्रोग्राम के कार्य की समीक्षा की जाएगी और उसी के आधार पर उच्च स्तर पर आने वाले पाँच जनपदों को पुरस्कृत किया जाएगा और जिन जनपदों द्वारा उनका लक्ष्य शत–प्रतिशत एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर दर्ज नही किया जाता उनके खिलाफ कठोर कार्यवाई की जाएगी।

जैसा कि आपको अवगत कराया जा चुका है कि आर0ओ0पी0 2015–16 में भारत सरकार द्वारा कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में राज्य स्तरीय बजट में 5 प्रतिशत की कटौती 2016–17 के बजट में की जाएगी।

भारत सरकार के मानकों के अनुसार, यदि एम0सी0टी0एस0. पोर्टल पर गर्भवती माताओं का पंजीकरण एवं डेटा का अपडेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो इस कार्यक्रम हेतु आगामी वर्ष के बजट में भारत सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी।

अतः इस अभियान के द्वारा प्राप्त पूर्ण टीकाकरण से संबन्धित डाटा का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेटशन संबन्धित उपलब्धियाँ भारत सरकार के मानकों के अनुसार निम्न प्रकार से होनी चाहिए–

| दिनांक | पूर्ण टीकाकरण हेतु संभावित उपलब्धि की प्राप्ति |
|---|---|
| 22 फरवरी 2016 तक | 25 प्रतिशत |
| 21 मार्च 2016 तक | 50 प्रतिशत |

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि जो जनपद उपरोक्त उपलब्धियों को सम्मिलित रूप से प्राप्त करने में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा तथा जो जनपद उपरोक्त उपलब्धियों को न्यूनतम स्तर पर भी प्राप्त कर पाने में असमर्थ रहते हैं उनकें विषय में उच्च अधिकारियों को सूचित कर जनपदों के उक्त कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

राज्य सरकार माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवाकर मातृ–शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए समर्पित है। हम इस अभियान के दौरान सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से पूर्ण सहयोग की आशा करते हैं जिससे वांछित परिणामों को प्राप्त किया जा सके।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

पत्रांक संख्याः एस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0/2015–16/51–ए तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. स्टॉफ ऑफिसर, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चि0 एवं स्वा0, स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, उ0प्र0।
5. अधिषाशी निदेशक, यू0पी0–टी0एस0यू0, उ0प्र0।
6. समस्त अपर निदेशक, चि0 स्वा0 एवं0 प0 क0 विभाग उ0प्र0।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव